उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या–क0नि0–2–566/ग्यारह–9(107)/07–उ0प्र0अधि0–30–2007–आदेश–(73)–2011
लखनऊ: दिनांक: 23 मई, 2011

शुद्धि–पत्र

उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण सरकारी गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड (ख) में प्रकाशित संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–2760/ग्यारह–9(107)/07–उ0प्र0अधि0–30–2007– आदेश–(28)–2008 दिनांक 24 सितम्बर, 2008 में,–

(1) हिन्दी पाठ में,–

(क) पृष्ठ संख्या–2 पर नियम 3 के उपनियम (6) की तीसरी पंक्ति में अंकित शब्द " देशों "के स्थान पर शब्द " **देयों** " पढ़ा जाय।

(ख) पृष्ठ संख्या–4 पर नियम 5 के उपनियम (5) की पहली पंक्ति में अंकित शब्द "प्रयाजनार्थ" के स्थान पर शब्द " **प्रयोजनार्थ** " पढ़ा जाय।

(ग) पृष्ठ संख्या–8 पर प्रारूप–ग के संलग्नक (3) में अंकित शब्द "अनु नक–ख"के स्थान पर शब्द " **अनुलग्नक–ख**" पढ़ा जाय एवं घोषणा शीर्षक की चौथी पंक्ति में अंकित शब्द "कोई पाया गया" के स्थान पर शब्द "**कोई तथ्य छिपाया गया**" पढ़ा जाय।

(घ) पृष्ठ संख्या–13 पर प्रारूप–घ, द्वितीय प्रति में (व्यापारी द्वारा भरा जायेगा) शीर्षक की तीसरी पंक्ति में अंकित शब्द "रजिस्ट्रीकरण है और इसका रजिस्ट्रीकरण संख्या"के स्थान पर शब्द "**रजिस्ट्रीकृत है और इसका रजिस्ट्रीकरण संख्या**" पढ़ा जाय।

(2) अंग्रेजी पाठ में, पृष्ठ संख्या–18 पर नियम 5 के उपनियम (4) की नीचे से दूसरी पंक्ति में अंकित शब्द "a authority" के स्थान पर शब्द "**authority**" पढ़ा जाय।

आज्ञा से,

(चन्द्रभानु)
सचिव।